

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
'जल भवन' बाणगंगा रोड़, भोपाल  
ई-मेल [eneph@nic.in](mailto:eneph@nic.in) दूरभाष क.0755-2779411-12

कमांक 197 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24

भोपाल, दिनांक 15/03/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रू.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल कमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरंत पदस्थापना
UR/NIL/OPEN/20 SAMVIDA/WAITING/16	श्री शिशिर मोहन श्रीवास्तव पिता श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव निवासी सी- 549 पुष्पा नगर कॉलोनी रेलवे स्टेशन के पास भोपाल जिला भोपाल (अनारक्षित) मो.9630419710	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड सतना जिला सतना

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

0. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
2. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का



(2)

प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

- 3 उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
- 4 यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 5 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 6 चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 7 संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 8 अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
- 9 चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 10 चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।
- 11 चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


  
15.3.2014





(3)

- 12 नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 13 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
- 14 उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-3/1/2/0014/2023.GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
- 15 माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका कमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका कमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
- 16 नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 15.03.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

  
15.3.2024  
(के.के. सोनगरिया)  
प्रमुख अभियंता



.....निरंतर..कृ.पू.उ...


(4)

क्रमांक 2606 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24

भोपाल, दिनांक 15/03/2024

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
02. सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग रीवा की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय सतना की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संबंधित श्री शिशिर मोहन श्रीवास्तव पिता श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव निवासी सी- 549 पुष्पा नगर कॉलोनी रेलवे स्टेशन के पास भोपाल जिला भोपाल (अनारक्षित) मो.9630419710 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।

  
15-3-2024  
प्रमुख अभियंता





कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
'जल भवन' बाणगंगा रोड़, भोपाल  
ई-मेल [encph@nic.in](mailto:encph@nic.in) दूरभाष क.0755-2779411-12

कमांक 199 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24

भोपाल, दिनांक 15/03/2024.

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल कमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
UR/NIL/OPEN/20 SAMVIDA/02	श्री विपुल गुप्ता पिता श्री शिवकुमार गुप्ता निवासी सी- 22 ऋषि नगर एलआईजी उज्जैन जिला उज्जैन (अनारक्षित) मो.9713604290	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड रतलाम जिला रतलाम

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
2. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का

15.3.2024


4



(2)

प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

- 3 उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
- 4 यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 5 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 6 चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 7 संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 8 अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
- 9 चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 10 चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।
- 11 चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


  
15.2.2014



(3)

नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- 13 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
- 14 उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023.GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
- 15 माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
- 16 नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 15.03.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

  
15-3-2024  
(के.के. सोनगरिया)  
प्रमुख अभियंता

.....निरंतर.क.पू.उ....

(4)

कमांक 2608 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24  
प्रतिलिपि :-

भोपाल,दिनांक 15/03/2024

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
02. सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार,(ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार,ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त,कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक यंत्री,लो0स्वा0यां0मैकेनिकल उपखण्ड रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संबंधित श्री विपुल गुप्ता पिता श्री शिवकुमार गुप्ता निवासी सी- 22 ऋषि नगर एलआईजी उज्जैन जिला उज्जैन (अनारक्षित) मो.9713604290 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।

  
15-3-2024  
प्रमुख अभियंता



कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
'जल भवन' बाणगंगा रोड़, भोपाल  
ई-मेल [enep@nic.in](mailto:enep@nic.in) दूरभाष क.0755-2779411-12

कमांक 194 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24

भोपाल, दिनांक 15/03/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि.यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल कमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना
OBC/NIL/OPEN/20 SAMVIDA/WAITING/17	श्री जसवंत यादव पिता श्री जनार्दन यादव निवासी 41-बी अटल बिहारी कॉलोनी, दीन दयाल नगर के पास ग्वालियर मध्यप्रदेश (अनारक्षित)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड दतिया जिला दतिया

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
2. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का

15.3.24

15



(2)


प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।

- 3 उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
- 4 यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 5 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
- 6 चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- 7 संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 8 अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
- 9 चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 10 चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।
- 11 चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



(3)

- 12 नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 13 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
- 14 उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023.GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
- 15 माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
- 16 यह नियुक्ति आदेश भविष्य में निर्णित होने वाली रिट याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी 24580/2023 के निर्णय के अध्याधीन रहेगी।
- 17 नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 15.03.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

  
15-3-2024  
(के.के. सोनगरिया)  
प्रमुख अभियंता



.....निरंतर..कृ.पू.उ....




(4)

क्रमांक 2603 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 15/03/2024

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
02. सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय दतिया की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक यंत्री, लो०स्वा०यां० मैकेनिकल उपखण्ड दतिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संबंधित श्री जसवंत यादव पिता श्री जनार्दन यादव निवासी 41-बी अटल बिहारी कॉलोनी, दीन दयाल नगर के पास ग्वालियर मध्यप्रदेश (अनारक्षित) मो. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।

  
15.3.2024  
प्रमुख अभियंता



कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
'जल भवन' बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल [enepn@nic.in](mailto:enepn@nic.in) दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 198

स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 15/03/2024


**//कार्यालयीन आदेश//**

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है ।

प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
OBC/NIL/FEMALE/ WAITING/02	सुश्री अंजू सिंह पिता/पति श्री बाबुलाल सिंह हनुमान नगर नाई बस्ती पता- पोस्ट बिड़ला विकास, रघुराज नगर, सतना, मध्य प्रदेश, जिला-सतना, मध्य प्रदेश, पिन-485005, मोबाईल न.-8269022567	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड सीधी जिला- सीधी

**यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -**


01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।

  
15-3-2024






02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.वि./यां. सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।

  
15-3-2014





11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजाँच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के जाप क्रमांक-1 एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश वि./यां. सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित जाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2023/0014/2/1/3-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. यह नियुक्ति आदेश भविष्य में निर्णित होने वाली रिट याचिका क्रमांक डब्ल्यू .पी. 24580/2023 के निर्णय के अध्याधीन रहेगी ।
17. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 15.03.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।

  
15-3-2024  
(के.के.सोनगरिया)  
प्रमुख अभियंता



.....निरंतर...कृ.पू.उ..



पृ.क्र. 2607 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024  
प्रतिलिपि :-

भोपाल दिनांक 15/03/2024

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, विद्युत यांत्रिकी भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन मैकेनिकल खण्ड रीवा की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- मैकेनिकल उपखण्ड सीधी की ओर सूचनार्थ ।
11. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मैकेनिकल उपखण्ड सीधी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. संबंधित सुश्री अंजू सिंह पिता/पति श्री बाबुलाल सिंह हनुमान नगर नाई बस्ती पता- पोस्ट बिड़ला विकास, रघुराज नगर, सतना, मध्य प्रदेश, जिला-सतना, मध्य प्रदेश, पिन-485005, मोबाईल न.-8269022567 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।

15-3-2024  
प्रमुख अभियंता



कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
'जल भवन' बाणगंगा रोड भोपाल

ई-मेल [encph@nic.in](mailto:encph@nic.in) दूरभाष क्र.0755-2779411-12.

क्रमांक 196

स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 15/03/2024.

**//कार्यालयीन आदेश//**

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3/1/2/0014/2023 GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 अनुसार वेतन लेवल-8 रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों(मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है ।

प्रतीक्षा सूची में स.क्र.	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम व पत्र व्यवहार का पता	नियुक्ति उपरांत पदस्थापना
OBC/NIL/OPEN/20 SAMVIDA/ WAITING/21	श्री नितिन बिसेन पिता श्री सुरेश बिसेन आवास क्र-डी 1 220 केवी उपकेन्द्र कॉलोनी बिलाबली तालाब के सामने खण्डवा मध्य प्रदेश, पिन-, मोबाईल न.-8269022567	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड रतलाम जिला- रतलाम

**यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -**


01. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।



02. प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा, उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
03. उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.वि./यां. सेवा) सेवा की सामान्य शर्तें (नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) अराजपत्रित (सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
04. यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
05. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
06. चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
07. संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
08. अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
09. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
10. चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।



11. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के जाप क्रमांक-1.एफ-9/3/2003-नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश वि./यां. सेवा) पेंशन (नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित जाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
14. उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ2023/0014/2/1/3-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
15. माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका क्रमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका क्रमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।
16. यह नियुक्ति आदेश भविष्य में निर्णित होने वाली रिट याचिका क्रमांक डब्ल्यू .पी. 24580/2023 के निर्णय के अध्याधीन रहेगी ।
17. नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 15.03.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।

  
15-3-2024  
(के.के.सोनगरिया)  
प्रमुख अभियंता



.....निरंतर...कृ.पृ.उ..





पृ.क्र. 2605 स्था/अराज/प्रअ/लोस्वायांवि/2024

भोपाल दिनांक 15/03/2024.

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
02. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. महालेखाकार (ले./ह.) महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
04. आयुक्त, कोष लेख एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
05. नियंत्रक मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ ।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ अग्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र, विद्युत यांत्रिकी भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. जिला कोषालय अधिकारी जिला कोषालय- रतलाम की ओर सूचनार्थ ।
11. सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मैकेनिकल उपखण्ड रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
12. संबंधित श्री नितिन बिसेन पिता श्री सुरेश बिसेन आवास क्र-डी 1 220 केवी उपकेन्द्र कॉलोनी बिलाबली तालाब के सामने खण्डवा मध्य प्रदेश, पिन- की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
13. आदेश /व्यक्तिगत नस्ती ।

  
15-3.2024  
प्रमुख अभियंता  




कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
'जल भवन' बाणगंगा रोड़, भोपाल  
ई-मेल [enepb@nic.in](mailto:enepb@nic.in) दूरभाष क.0755-2779411-12

कमांक 195 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24

भोपाल, दिनांक 15/03/2024

//कार्यालयीन आदेश//

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 द्वारा प्रदत्त परामर्श सह दिशा निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार चयनित उम्मीदवार को आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर कॉलम-(03) में दर्शाये स्थान पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम, 2016 अनुसार वेतन लेवल-8रु.32800-103600 वेतनमान एवं समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुसार अस्थायी रूप से प्रथम तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु निर्धारित स्टायपेंड) पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रतीक्षा सूची श्रेणी व सरल कमांक	मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता तथा श्रेणी	नियुक्ति उपरंत पदस्थापना
UR/NIL/OPEN/20 SAMVIDA/WAITING/23	श्री आशीष तिवारी पिता श्री राजीव तिवारी निवासी सी-139 बीडीए कॉलोनी गोंदरमउ गांधी नगर भोपाल जिला भोपाल (अनारक्षित) मो.8817502172	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल उपखण्ड राजगढ़ जिला राजगढ़

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1. 0. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के निहत नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
2. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का

15-3-2024



(2)


- प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन अवधि में कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत तथा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् नियमित वेतनमान प्रदान किया जावेगा।
- 3 उक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा नियम-1976 के अध्याधीन होगा, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
  - 4 यह नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा हेतु अयोग्य पाये जाते हैं, तो तत्काल प्रभाव से यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
  - 5 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
  - 6 चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र असत्य पाये जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
  - 7 संविदा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पद के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रहेगी। अनुभव प्रमाण-पत्र असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
  - 8 अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते समय मूल शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र इत्यादि की सत्यापित प्रति पदस्थापना स्थान पर प्रस्तुत करना होगा।
  - 9 चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने निवास स्थान के समीप जिला/संभागीय मुख्यालय पर स्थित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के खर्च से स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
  - 10 चयनित अभ्यर्थी की संवर्ग में वरिष्ठता मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल की प्रतीक्षा सूची अनुसार यथावत रहेगी।
  - 11 2. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थीकरण के स्थान पर जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

15-3-2024



(3)

- 12 नवनियुक्त अभ्यर्थी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अर्जॉच/अमांग प्रमाण-पत्र पदस्थापना कार्यालय को कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 13 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक-1-एफ-9/3/2003 /नियम-चार भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे। वर्णित ज्ञाप अनुसार अंशदान पेंशन योजना 2005 लागू होगी।
- 14 उक्त आदेश मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-3/1/2/0014/2023.GAD-RC-01(GAD) भोपाल दिनांक 26 जून 2023 के परिपालन में जारी किया जा रहा है।
- 15 माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई याचिका कमांक 8612/2022 में पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 व निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं याचिका कमांक 5853/2023 में पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 अनुसार यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
- 16 नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक 15.03.2024 से 15 दिवस की समयावधि के अन्दर पदस्थता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति का आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

  
15.3.2024  
(के.के. सोनगरिया)  
प्रमुख अभियंता



.....निरंतर..कृ.पू.उ....



(4)

क्रमांक 2604 स्था/अराज/प्र.अ./लोस्वायांवि/24  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 15/03/2024

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
02. सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
03. महालेखाकार, (ले./ह.) कार्यालय महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
04. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
05. नियंत्रक, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
06. निज सचिव, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत यांत्रिकी परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
08. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
09. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मैकेनिकल खण्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय राजगढ़ की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक यंत्री, लो०स्वा०यां०मैकेनिकल उपखण्ड राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संबंधित श्री आशीष तिवारी पिता श्री राजीव तिवारी निवासी सी- 139 बीडीए कॉलोनी गोंदरमउ गांधी नगर भोपाल जिला भोपाल (अनारक्षित) मो.8817502172 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आदेश/व्यक्तिगत नस्ती।

  
15-3-24  
प्रमुख अभियंता

